

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक:-3 कृषि बजट विविध -37/2016 19

कृ० पटना दिनांक:- 6/01/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक कृषि/निदेशक बामेति/प्रबंध निदेशक बिहार, राज्य बीज निगम लिमिटेड/
प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना /तिरहुत /मगध /दरभंगा /सारण
/मुंगेर / सहरसा /पूर्णियाँ /भागलपुर /संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट, बिहार,
पूर्णियाँ/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी।

विषय- दिनांक-14.10.2016 को आहुत लोक लेखा समिति की बैठक में डी०सी० विपत्र से संबंधित प्राप्त निर्देशों के आलोक में महालेखाकार, बिहार से डी०सी० विपत्रों की प्रस्तुती हेतु प्राप्त मंतव्य के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग का पत्रांक:- 8786 दिनांक-14.11.2016 एवं उप महालेखाकार, बिहार, पटना का पत्रांक:-सत्यापन कोषांग/डी०सी०/16-17:-1000 दिनांक-28.10.2016।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र को प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि दिनांक-14.10.2016 को आयोजित लोक लेखा समिति की बैठक में लंबित डी०सी० विपत्र से संबंधित प्राप्त निर्देशों के आलोक में दिनांक-19.10.2016 को आयोजित ए०सी०/डी०सी० समीक्षा बैठक में समीक्षोपरांत महालेखाकार, बिहार से डी०सी० विपत्रों की प्रस्तुती हेतु मंतव्य प्राप्त हुआ है जो निम्न प्रकार है:-

1. मधुबनी जिला अवस्थित जिन कार्यालयों में आगलगी के कारण अभिलेख जल चुके हैं उनकी समेकित सूची निम्न विवरणी के साथ महालेखाकार कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाय।
 - (क) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम एवं कोड संख्या जिनके द्वारा जले हुए ए०सी० विपत्रों की निकासी की गई थी।
 - (ख) जले हुए कुल ए०सी० विपत्रों की संख्या, वित्तीय वर्ष, शीर्ष तथा राशि।
 - (ग) टी०भी०नं० तथा तिथि की सूचना।
 - (घ) यह प्रमाण-पत्र की उल्लेखित ए०सी० विपत्रों की निकासी हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत थे।
2. अग्रिम राशि के गवन/लूट का मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। चूँकि यह राशि व्यय ही नहीं हुई। अतः बिहार कोषागार नियमावली/बिहार वित्तीय नियमावली के तहत कोई निर्णय महालेखाकार कार्यालय स्तर पर नहीं ली जा सकती है। न्याय निर्णय के पश्चात् इसपर अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।
3. मूल अभिश्रव की प्रति खो जाने की स्थिति में डी०सी० विपत्र-ऐसे विपत्र दो प्रकार के हो सकते हैं।

(क) अभिश्रव की छायाप्रति उपलब्ध रहने पर वित्त विभाग के पत्रांक:-8241 दिनांक-07.08.2013 के तहत कार्रवाई अपेक्षित है। ऐसे विपत्रों की एकमुश्त सूची विभागीय सचिव के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

(ख) मूल अभिश्रव के साथ-साथ छायाप्रति की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे विपत्रों की एकमुश्त सूची विभागीय सचिव के रतर से महालेखाकार, कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

अतः अनुरोध है कि लंबित डी०सी० विपत्र के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई यथाशीघ्र करते हुए लंबित डी०सी० विपत्र महालेखाकार, बिहार को समर्पित किया जाय तथा इसकी सूचना कृषि विभाग एवं वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना

/क०, पटना दिनांक 6/01/2017

ज्ञापांक :- 19

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना/बक्सर/नालंदा/कैमूर/भोजपुर /जहानाबाद /गोपालगंज/कटिहार/दरभंगा/सहरसा/सारण/सासाराम/मधुबनी /अरवल /औरंगाबाद/ नवादा/ गया/समस्तीपुर/छपरा/बाँका/ सिवान/ मुंगेर/ शेखपुरा/खगड़िया/लखीसराय/बेगुसराय/मधेपुरा /सुपौल /भागलपुर/पूर्णियाँ/अररिया/मुजफ्फरपुर/वैशाली/पंचम्पारण/सीतामढ़ी/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि महालेखाकार, बिहार, पटना के उक्त निदेश का अनुपालन करने हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आदेश देते हुए डीजल अनुदान से संबंधित ए०सी० विपत्रों का डी०सी० विपत्र महालेखाकार, बिहार/कृषि विभाग, बिहार को समर्पित कराया जाय।

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना

/क०, पटना दिनांक 6/01/2017

ज्ञापांक :- 19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

एच०आर०श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग ।

महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना ।

महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-18-10-16

विषय:- दिनांक-14.10.2016 को आहुत लोक लेखा समिति की बैठक में डी०सी० विपत्रों से संबंधित प्राप्त निदेशों के आलोक में दिनांक-19.10.2016 की ए०सी०-डी०सी० समीक्षा बैठक में विमर्श के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-14.10.2016 को विभिन्न विभागों द्वारा लोक लेखा समिति के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जिक्र किया गया जिसपर समिति द्वारा निदेश दिया गया कि वित्त विभाग, अन्य विभाग एवं महालेखाकार द्वारा इन समस्याओं का निदान कर समिति के सामने स्पष्ट पक्ष रखा जाय ।

प्रमुख समस्याएँ निम्नवत है:-

1. आपदा प्रबंधन, समाज कल्याण आदि विभागों के मधुबनी जिला स्थित कार्यालयों में आगलगी के कारण अभिलेख जल जाने की स्थिति में डी०सी० विपत्र की तैयारी ।

2. अग्रिम राशि के गवन आदि मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने की स्थिति में डी०सी० विपत्र की तैयारी ।

3. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा विद्यालयों के माध्यम से वितरित छात्रवृत्ति की राशि का डी०सी० विपत्र ।

4. महालेखाकार कार्यालय को भेजे गये मूल अभिश्रव की प्रति खो जाने की स्थिति में डी०सी० विपत्र ।

5. भू-अर्जन से संबंधित राशि जिसे पी०डी० खाता में जमा करा दिया गया है, का डी०सी० विपत्र ।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर स्पष्ट मंतव्य के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहुत बैठक (दिनांक-19.10.2016, 4:00 PM) में भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(एच०आर०श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन) ।

दूरभाष/Telephone- 2225766
2224812

फैक्स Fax - 0612-2225977
तार | Gram : ACCOUNTS
Tele

2
11/11/16

एवं अभिप्रमाणित फोटोग्राफ डी0 सी0 विपत्र के साथ संलग्न किए जाने का निर्देश दिया जाए।

विश्वासभाजन
उप महालेखाकार
27/10/16
बिहार, पटना

क) जिनके अभिश्रव उपलब्ध नहीं हैं : ऐसे मामले एक निश्चित अवधि के होंगे । अतः उक्त निर्धारित अवधि की सीमा के अंतर्गत एकमुश्त ऐसे विपत्रों की सूची पूर्ण विवरणी यथा बिल नं०/दिनांक राशि, टी०भी०नं०/दिनांक, कोषागार का नाम इत्यादि सहित विभागीय सचिव के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही वित्त विभाग बिहार सरकार, विभाग द्वारा वर्णित सूची के संदर्भ में बिहार कोषागार नियमावली-2011 के नियम 129 तथा कोषागार संहिता के नियम-211 (पुराना) के तहत सामंजन का निर्णय से इस कार्यालय को संसूचित करें। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

ख) जहाँ एक ही रजिस्टर में अभिश्रव संघारित हैं, उन मामलों में डी०सी० विपत्र के साथ रजिस्टर के संबंधित भाग की अभिप्रमाणित छाया-प्रति संलग्न किया जाय एवं यह प्रमाणित किया जाय कि मूल रजिस्टर की छाया-प्रति संलग्न की जा रही है एवं मूल रजिस्टर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित है । आवश्यकतानुसार मॉग किए जाने पर यह प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त व्यवस्था भी एक निर्धारित अवधि तक की रहेगी । जिसे विभाग एवं वित्त विभाग मिलकर तय कर लें एवं इस कार्यालय को सूचित करने की व्यवस्था करें ताकि उक्त अवधि तक के मामलों का निष्पादन संभव हो सके।

4. मूल अभिश्रव की प्रति खो जाने की स्थिति में डी० सी० विपत्र : ऐसे विपत्र दो प्रकार के हो सकते हैं :

क) अभिश्रव की छाया-प्रति उपलब्ध रहने पर वित्त विभाग के पत्रांक 8241 दिनांक 07.08.2013 के तहत कार्रवाई अपेक्षित है। ऐसे विपत्रों की एकमुश्त सूची विभागवार विभागीय सचिव के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

ख) मूल अभिश्रव के साथ-साथ छायाप्रति की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे विपत्रों की एकमुश्त सूची विभागीय सचिव के स्तर से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा उक्त विभागीय सूची के संदर्भ में बिहार कोषागार नियमावली 2011 के नियम-129 तथा कोषागार संहिता के नियम 211 (पुराना) के तहत सूची अनुसार सामंजन के निर्णय से इस कार्यालय को अवगत कराए। यह व्यवस्था एक निर्धारित अवधि तक के मामलों के संदर्भ में रहेगी। उक्त निर्धारित अवधि की सूचना से भी इस कार्यालय को अवगत कराई जाय।

5. भू-अर्जन से संबंधित राशि जिसे पी०डी० खाता में जमा करा दिया गया है, के संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक एम. 4-27/2011-1421 दिनांक 12.02.13 के अनुसार कार्रवाई अपेक्षित है।

विद्यालय समिति द्वारा भवन निर्मित किए जाने के संबंध में स्पष्ट किया गया कि अभिश्रव उपलब्ध नहीं है। मुख्य सचिव एवं विभागीय सचिव से हुई वार्तानुसार इस संदर्भ से संबंधित समस्त ए० सी० विपत्रों की एकमुश्त सूची विभागीय सचिव के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सूची में वर्णित ए० सी० विपत्र के निष्पादन हेतु बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम -129 तथा कोषागार संहिता नियम 211 (पुराना) के तहत स्वीकृत तथा माप पुस्तिका

